6-3-19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील वादीनी द्वारा अवगत कराया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण के बीच में राजीनामा हो चुका है। वादीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके वाद जरिये डिक्री खारिज करने का निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजीनामा स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के राजीनामा जरिये डिक्री वाद खारिज हो जाने से के कारण पत्रावली कैसल शुमार होकर की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक दफ्तर हो। नकल से काम की जावार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner